

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सेजुओं की ढाणी
प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

1. लतीफ पुत्र इदा जाति मुसलमान
कुम्हार निवासी सेजुओं की ढाणी
विशाला आगौर तहसील एवं जिला
बाड़मेर।

1. शाहमीर पुत्र करीम जाति
मुसलमान कुम्हार, निवासी सेजुओं
की ढाणी विशाला आगौर तहसील
व जिला बाड़मेर। 2. तहसीलदार
बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत्
राजस्व आवेदन संख्या-2282/2016 दिनांक-04.12.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सेजुओं की ढाणी हलका विशाला आगौर तहसील व
जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 728/201 रकबा 19.10 बीघा के चारो तरफ पक्के
नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त
किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्यवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये
नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी
फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नहीं करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश
दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे।
कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षर एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की
जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

क्रमांक/रीडर/2021/6519-6522

दिनांक- 04/12/2021

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी
अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी विशाला आगौर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय
रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी लतीफ पुत्र इदा जाति मुसलमान कुम्हार निवासी सेजुओं की ढाणी
विशाला आगौर तहसील एवं जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थी शाहमीर पुत्र करीम जाति मुसलमान कुम्हार, निवासी सेजुओं की
ढाणी विशाला आगौर तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर